राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1045/2025

पंकज मोहन सक्सैना –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय जयपुर।
3. देवकी नन्दन एस आर पी सी एच सी तालेडा बून्दी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर रिकार्ड पर लिया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर महाराव भीमसिंह चिकत्सालय कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोलेड़ा, बून्दी में निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के स्थान पर किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। उक्त आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम गलत दर्शातें हुए स्थानान्तरण किया गया है। स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम पंकज सक्सैना अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी का सही नाम पंकज मोहन सक्सैना है। लेकिन विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आलौच्य आदेश जारी किया गया है। जिसकी पुष्टि अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश दिनांक

02.12.1998 (अनुलग्नक–3) द्वारा होती है। अपीलार्थी की पत्नी जिला कलक्टर कार्यालय कोटा में पदस्थापित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को महाराव भीमसिंह चिकत्सालय कोटा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोलेड़ा, बून्दी में किया गया है। स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम पंकज सक्सैना अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी का सही नाम पंकज मोहन सक्सैना है जो बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आलौच्य आदेश जारी किया गया है। ऐसी स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य